

21.5.16

पत्रावली कोर्ट के मासिक मालेला पर  
 पेश। वादिपत्र वादिपत्र के वकील एवं  
 प्रतिवादी सब। उपर्युक्त वादिपत्र की  
 अपील में अनुतोष प्राप्त होवे में। वाद  
 पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं,  
 वाद पत्र श्वारीज किया जावे।  
 वादिपत्र वाद पत्र में आगे कोई  
 कार्यवाही नहीं चाहने से वाद  
 पत्र पत्रावली श्वारीज की  
 जाती है।


पत्रावली प्रशान कुमार शेखर  
 नम्बर से नाम है।

(उमैद सिंह राजावत)  
 उपखण्ड अधिकारी एवं  
 पदेन सहायक कलक्टर  
 भीलवाड़ा

सहमत है



वादिपत्र  
वादिपत्र



अपील के  
 अनुतोष  
 होने पर  
 कार्य नष्ट  
 करवा कर  
 करवा